

# समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा,)

— :: आदेश :: —

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का CFMS Order No.-1782/आ०प्र० दिनांक 26.06.2018 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकास्मिक योजनाओं का प्रबंधन, उपशीर्ष-0005- NA, विपत्र कोड- 39-2245801020005, मांग संख्या 39, Allotment ID-56426, विषय शीर्ष-28-02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत मो० 7,90,000.00 (सात लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन जिला नजारत उप समाहर्ता कटिहार को उपावंटन करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि को चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय पत्रांक 1982/आ०प्र० दिनांक 10.07.2017 के आलोक में जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC), कटिहार में बेल्ट्रॉन, पटना द्वारा नियुक्त आईटी0ब्यॉय एवं कम्प्युटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामर के मानदेय भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है। उक्त कर्मियों का भुगतान बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम से किया जाना है। अतएव बेल्ट्रॉन, पटना से प्राप्त विपत्र में अंकित बैंक विवरणी यथा बैंक का नाम : Indian Overseas Bank, Shastrinagar, Patna, खाता संख्या-151201000037012, Bank IFSC : IOBA0001512, PAN No.-AACCB0540P के माध्यम से बेल्ट्रॉन, पटना को भुगतान किया जाना है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill (बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र) के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को दिनांक 15.03.2019 तक अच्युत रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2019 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक- 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	उपावंटित राशि			अवशेष राशि
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला नजारत उप समाहर्ता, कटिहार	7,90,000.00	—	7,90,000.00	7,90,000.00	
	कुल योग	7,90,000.00	0.00	7,90,000.00	7,90,000.00	0.00

मो० (सात लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र।

२७  
जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

ज्ञापांक...19(२०)/आ०प्र० II-01/2017, दिनांक...11/03/18

प्रतिलिपि :-जिला नजारत उप समाहर्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२७  
जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।